संख्या– 1258 /38–7–2008–

प्रेषक,

डा0 जे0 एन0 चेम्बर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 01 जून, 2008

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्यों की प्राथमिकता के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में जीविका के संसाधनों को सुदृढ़ एवं बढ़ोत्तरी करने का है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक इच्छुक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का श्रम रोजगार उपलब्ध कराकर प्राप्त किया जाना है। योजना के माध्यम से ऐसे कार्यों को प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के संसाधनों में वृद्धि हो एवं स्थायी परिसम्पतियां भी सृजित हों।

2– ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जल, जमीन व जंगल है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल करते हुये उपरोक्त प्राकृतिक संसाधनों में बढ़ोत्तरी तथा उनका संरक्षण करने की असीम सम्भावना है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के निम्न कार्यों को प्राथमिकता पर कराया जाय :–

1. गांवों में उपलब्ध तालाब को गहरा करने एवं इनके सुदृढ़ीकरण का कार्य।
2. इन तालाबों कें रख रखाव एवं नियमित सफाई की व्यवस्था ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध धनराशि से आवश्यकतानुसार कराई जाए।
3. जिन गांवों में तालाब नहीं हैं या अपर्याप्त संख्या/आकार के हैं, वहां सार्वजनिक भूमि पर नये तालाब का निर्माण कराया जाना।

4. गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले लिंक रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण कराया जाना एवं इनके सुरक्षा की व्यवस्था बांस ट्रीगार्ड आदि से किया जाना।
5. बुन्देलखण्ड को छोड़कर प्रदेश के अन्य भागों में नीम, बेलपत्र व इमली के पौधे लगवाए जाएं। बुन्देलखण्ड में जलवायु को देखते हुये अन्य प्रजाति के पौधे रोपित कराये जाएं।
6. इन पौधों का रख–रखाव सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।
7. उल्लेखनीय है कि योजना की आपरेशनल गाईड लाईन के प्रस्तर–6.1.3 में इसका प्राविधान है कि योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों (वनीकरण एवं वृक्षारोपण के कार्यो की सुरक्षा को सम्मिलित करते हुए) का रखरखाव अनुमन्य है। किसी अन्य योजना के अन्तर्गत भी सृजित परिसम्पत्तियाँ जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की गाईड लाईन में अनुमन्य है, के रखरखाव एवं अनुरक्षण पर भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना से धनराशि व्यय की जा सकती है।

भवदीय,

01/06/08

(डा0जे0एन0चेम्बर)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1258 (1)/38–7–2008तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

01/06/08

(जे0पी0चौरसिया)
उपसचिव।